

रिटेल लोन – ब्याज दरें /प्रसंस्करण प्रभार
01.04.2025 से प्रभावी

स्थिर ब्याज दर पर ऋण:

- ❖ यह दर 5 वर्षों के लिए स्थिर होगी।
- ❖ समाप्ति पर, उस तिथि पर प्रचलित नियत दर प्रभारित किया जाएगा। यदि उधारकर्ता अस्थिर दर पर स्विच करना चाहता है, तो उस तिथि तक प्रचलित अस्थिर दर प्रभारित की जाएगी।
- अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर सभी ब्याज दरें प्रति वर्ष मासिक अंतराल पर हैं।
- अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर नए ऋण के साथ-साथ स्विच ओवर के लिए भी स्थिर ब्याज दर लागू है।

सभी प्रभार जीएसटी रहित हैं

ब्याज दर			प्रसंस्करण प्रभार
1 (ए) (i) स्टार आवास ऋण/स्टार स्मार्ट आवास ऋण/ स्टार डायमंड आवास ऋण व्यक्तियों के मामले में (नए/स्विच ओवर पर लागू)			I- वैयक्तिक: ऋण राशि का 0.35% न्यूनतम रु. 3500/- & अधिकतम रु. 30000/- II- स्टार डायमंड आवास ऋण: ऋण राशि की परवाह किए बिना रु. 60000/-
	वैतनिक	गैर-वैतनिक	
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 825 और उससे अधिक		10.70%	
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 800 से 824 के बीच		10.70%	
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 और 799 के बीच		10.70%	
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 725 और 759 के बीच		10.80%	
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 675 और 724 के बीच		10.90%	
सिबिल- वैयक्तिक स्कोर 675 से कम	महिला लाभार्थी		
	वैतनिक	गैर-वैतनिक	
	12.00%	12.15%	
	अन्य के लिए		
	वैतनिक	गैर-वैतनिक	
	12.05%	12.20%	
सिबिल- वैयक्तिक स्कोर -1 और 0		11.00%	
1 (ए) (ii) आवास ऋण वर्तमान में सिबिल वैयक्तिक स्कोर से जुड़े नहीं हैं: अर्थात् व्यक्तियों को छोड़कर अन्य संस्थाएं और स्टार प्रवासी लोन			
स्टार प्रवासी के लिए (महिला लाभार्थी)		10.70%	
अन्य के लिए		10.80%	

सीआरई-आरएच-आवास ऋण पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर लागू होगी	
---	--

2. स्टार टॉप अप लोन संबंधित आवास ऋण खाते में लागू ब्याज दर में 0.50% का प्लस प्रीमियम			यथा आवास ऋण पर लागू है
3.	स्टार सुविधा एक्सप्रेस वैयक्तिक ऋण (एसएसईपीएल)		ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/-
	वैतनिक /पेंशनभोगी	12.20%	
	वैतनिक के अलावा /एनआरआई	13.20%	
4.	स्टार वैयक्तिक ऋण योजना		ऋण राशि का वन टाइम @ 1.00% न्यूनतम रु.2500/- और अधिकतम रु.15000/- वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) को कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं है
	ऋण राशि होते हुए भी तथा व्यक्तियों हेतु		
	1. पूर्णतः प्रतिभूत	15.20%	
	2. स्पष्ट/गैर-जमानती	16.20%	
	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा रु. 50000.00 तक के ऋण के लिए	14.20%	
	3. टाई-अप व्यवस्था के तहत सुरक्षित वित्तपोषण	15.20%	
5.	बीओआई स्टार रूफ टॉप सोलर पैनल वित्तपोषण		शून्य
	व्यक्तियों के लिए	3 किलोवाट से ऊपर आवास ऋण ग्राहकों के लिए: 10.70%	
		गैर-आवास ऋण ग्राहकों के लिए: 11.70%	
	पंजीकृत समूह आवासीय समितियों/ आवासीय कल्याणकारी संघों के लिए	13.20%	
6.	स्टार पेंशनर ऋण योजना		वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) को कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं है, अन्य के लिए: ऋण राशि का वन टाइम @ 0.50% न्यूनतम रु.250/- और अधिकतम रु.1000/-
	पूर्णतः प्रतिभूत / स्पष्ट/गैर-जमानती	13.20%	

7. (ए) (i) वैयक्तिकों के लिए स्टार व्हीकल ऋण

फोर व्हीलर/ सुपर बाइक्स (रु. 5.00 लाख से अधिक)

सिबिल-वैयक्तिक स्कोर	ब्याज दर (5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित है)	
	वैतनिक	स्वनियोजित
सिबिल- वैयक्तिक स्कोर 825 और उससे अधिक	10.70%	
800 के बीच 824	10.70%	
760 के बीच 799	10.70%	
725 के बीच 759	10.80%	
675 के बीच 724	10.90%	
675 से कम	वैतनिक	गैर- वैतनिक
	12.10%	12.20%
-1 और 0 का स्कोर	11.00%	

टू व्हीलर के लिए	वैतनिक	गैर- वैतनिक/ गैर- व्यक्ति
	12.45%	12.55%
सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए	12.60%	12.70%

7 (बी) (i) वैयक्तिकों के अलावा अन्य संस्थाओं के मामले में

बाहरी रेटिंग AAA/AA	10.70%
बाहरी रेटिंग A/BBB	10.70%
सीएमआर-3 & बेटर	10.70%
सीएमआर- 4 और सीएमआर -5	10.80%
सीएमआर नहीं/ सीएमआर-6 से आगे	11.45%
यदि बाहरी रेटिंग लागू नहीं है तो सीएमआर की गणना की जाएगी	

I- नए फोर व्हीलर: सीमा का 0.25%, न्यूनतम रु. 2500/- अधिकतम रु. 10000/-

II- टू व्हीलर/ पुराना व्हीकल: ऋण राशि का 1.0% न्यूनतम रु. 1000/- अधिकतम रु. 5000/-.

ई- व्हीकल खरीदने पर लागू प्रसंस्करण प्रभार में 50% की छूट।

गैर-वैयक्तिक के लिए: प्रसंस्करण प्रभार, व्यक्तियों के लिए लागू प्रभार (अधिकतम सीमा सहित) से दोगुना होगा।.

8. स्टार शिक्षा ऋण:

क. आईबीए योजना के अनुसार शैक्षिक ऋण

सीजीएफएसईएल के तहत 7.5 लाख रुपए तक का कवर	12.40%
7.50 लाख रुपए से अधिक	12.20%

रियायतें:

ए) छात्राओं के लिए: 0.50%

बी) व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जैसे इंजीनियरिंग / मेडिकल / प्रबंधन आदि) करने वाले सभी छात्र 0.50% ब्याज रियायत के लिए पात्र हैं।

कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं

ख. स्टार विद्यालक्ष्मी योजना:

लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी के अनुसार संस्थान	10.70%
लिस्ट डी के अनुसार संस्थान	11.20%
कोई अन्य रियायतें लागू नहीं होगी।	

कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं

ग. प्रधान मंत्री कौशल ऋण योजना				शून्य								
12.20 % यदि अध्ययन अवधि के दौरान तथा पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, तो ऋण लेने वालों को ब्याज में 1% की रियायत दी जा सकती है। पुनर्भुगतान शुरू होने के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी।												
घ. स्टार प्रोग्रेसिव शिक्षा ऋण:				शून्य								
अन्य के लिए		12.40%										
हमारे बैंक स्टाफ के बच्चे और उनके जीवन साथी		11.40%										
छात्राओं के लाभ के लिए स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर में 0.50% की छूट।												
9. संपत्ति पर स्टार ऋण												
(ए) व्यक्तियों के लिए:				ऋण के लिए (किस्तों में चुकाने योग्य) स्वीकृत ऋण राशि का वन टाइम @ 1% न्यूनतम रु. 10000/- और अधिकतम रु. 100000/-. बंधक ओडी (घटाने योग्य) के लिए मूल स्वीकृति के समय प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत सीमा का 1%, न्यूनतम रु.10,000/- तथा अधिकतम रु.100000/- आगामी वर्षों के लिए समीक्षित सीमा का 0.25% न्यूनतम रु.2,500/- एवं अधिकतम रु.40,000/-.								
सिबिल-वैयक्तिक ऋण स्कोर	मीयादी ऋण											
	आवासीय संपत्ति	वाणिज्यिक/ औद्योगिक स्वयं अधिगृहीत संपत्ति	वाणिज्यिक/ औद्योगिक (गैर-स्वयं अधिगृहीत संपत्ति)									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 760 और उससे अधिक	11.45%	11.95%	12.20%									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 और 759 के बीच	11.95%	12.45%	12.70%									
सिबिल-वैयक्तिक स्कोर 700 से कम (केवल समीक्षा के लिए)	13.70%											
सिबिल- वैयक्तिक स्कोर -1 और 0	12.20	12.70	12.95%									
- खुले भूखंडों(ओपन प्लॉट्स) पर ऋण के लिए लागू ब्याज दर में अतिरिक्त 1.00% जोड़ा जाएगा। - ओवरड्राफ्ट (घटाने योग्य) सुविधा के लिए लागू ब्याज दर में अतिरिक्त 0.25% जोड़ा जाएगा।												
9. (बी) व्यक्तियों के अलावा: (केवल समीक्षा):				बंधक शुल्क:- <table><tr><td>10.00 लाख रुपए तक की सीमा</td><td>रु.5000/-</td></tr><tr><td>10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा</td><td>रु.10000/-</td></tr><tr><td>100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक</td><td>रु.20000/-</td></tr><tr><td>500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा</td><td>रु. 30000/-</td></tr></table>	10.00 लाख रुपए तक की सीमा	रु.5000/-	10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा	रु.10000/-	100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक	रु.20000/-	500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा	रु. 30000/-
10.00 लाख रुपए तक की सीमा	रु.5000/-											
10.00 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख तक की सीमा	रु.10000/-											
100 लाख रुपए से अधिक का ऋण 500 लाख रुपए तक	रु.20000/-											
500.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा	रु. 30000/-											
मीयादी ऋण		12.70%										
ओडी घटाने योग्य		12.95%										
ओडी गैर-घटाने योग्य		13.20%										
13. स्टार मित्र वैयक्तिक ऋण योजना:				स्थगित किया								
12.00%												

14. स्टार रिवर्स बंधक ऋण योजना 13.30%	स्वीकृति सीमा का वन टाइम 0.25% न्यूनतम रु. 1500/- तथा अधिकतम रु. 10000/-
--	--

ए. निजी क्रेडिट रिपोर्ट का एक्सेस – प्रति रिपोर्ट प्रभार रु.50/-

बी. सीईआरएसएआई पंजीकरण शुल्क:

क्र. सं.	पंजीकृत किए जाने वाले संव्यवहार की प्रकृति	देय शुल्क राशि
1.	स्वत्व विलेखों को जमा करके बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन और आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
2.	स्वत्व विलेखों को जमा करने के अलावा अचल संपत्ति के बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	शून्य
3.	संपत्ति और मशीनरी, स्टॉक, बही ऋण या प्राप्य सहित ऋण, चाहे विद्यमान हों या भविष्य के दृष्टिबंधन में प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
4.	अमूर्त आस्तियों में सुरक्षा हित के सृजन या संशोधन का विवरण, जैसे कि तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ या समान प्रकृति का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार।	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
5.	किसी निर्माणाधीन आवासीय या वाणिज्यिक भवन या उसके किसी भाग में बंधक के अलावा किसी समझौते या लिखत द्वारा प्रतिभूति हित के सृजन या आशोधन का विवरण।	5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए प्रतिभूति हित के सृजन और उसके बाद किसी भी आशोधन के लिए 100 रुपए। 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, प्रतिभूति हित के सृजन एवं आशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रुपए होगा।
6.	दाखिल किए गए प्रतिभूति हित के लिए प्रभार की संतुष्टि का विवरण	शून्य
7.	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण का विवरण	रु.500/-
8.	प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण संव्यवहार की संतुष्टि का विवरण	रु.50/-
9.	किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में दर्ज/रखी गई जानकारी के लिए कोई भी आवेदन	रु.10/-
10.	30 दिनों तक के विलंब के लिए माफी हेतु कोई भी आवेदन	मूल शुल्क के 10 गुना से अधिक नहीं, जैसा लागू हो

22.1.2016 से प्रभावी रिकॉर्ड दाखिल करने में विलंब के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होगा

क्र.सं.	प्रभार्य संव्यवहार दाखिल करने में विलंब के दिनों की संख्या	प्रभारित अतिरिक्त शुल्क	स्पष्टीकरण
1	31 से 40 दिन तक	लागू शुल्क की दोगुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 200/- रुपए होगा।
2	41 से 50 दिन तक	लागू शुल्क की पांच गुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 500/- रुपए होगा।
3	51 से 60 दिन तक	लागू शुल्क की दस गुनी राशि	यदि लागू शुल्क 100/- रुपए है तो अतिरिक्त लागू शुल्क 1000/- रुपए होगा।

बशर्ते कि जहां एक से अधिक प्रतिभूति हितों के सृजन या आशोधन के संव्यवहार के विवरण किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शुल्क वह होगा जो उस प्रतिभूति हित के लिए निर्धारित शुल्क में सबसे अधिक है जिसके सृजन या आशोधन के विवरण ऐसे व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए गए हैं।